IN THE COURT OF PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT, SIWAN

Maintenance Case No.-140/2025

पीठासीन पदाधिकारी– **मनोज कुमार (द्वितीय)**,
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, सिवान।

फौजिया नाज ––––––––आवेदक
बनाम
अंजर खान––––––विपक्षी

Sr. No.	Date	Order with signature of the Court	Office Action/s taken with Date
	26-05-2026	आवेदक की ओर से कोई पैरवी नहीं है और बारम्बार पुकार पर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि, प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा दिनांक 27.06.2025 को दाखिल किया गया था तथा आवेदक को आदेशित किया गया है कि वह सदेह उपस्थित रहे एवं वाद की कार्यवाही आगे बढ़ावे परन्तु न्यायालय द्वारा बार–बार यह निर्देश दिये जाने के बावजूद भी आवेदक न तो सदेह उपस्थित होती है और न ही वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाती है। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि, आवेदक को बार–बार निर्देशित किया जा रहा है परन्तु उसके बाद भी आवेदक न तो उपस्थित होती है और न ही उनकी ओर से कोई भी उपस्थित होकर वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाती हैं और न ही न्यायालय के आदेश का पालन करती है। आवेदक लगातार अनुपस्थित रह रही है और आवेदक आज भी अनुपस्थित हैं। उपरोक्त विवेचन एवं आवेदक के निरंतर अनुपस्थिति से यह स्पष्ट है कि, उसे वाद में रूचि नहीं रह गई है। अतैव प्रस्तुत वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। लेखापित प्रधान न्यायाधीश, सिवान।	